



29.3.24 पत्रावली नैत्रा दुस) अधिवक्ता उभयपक्ष  
 उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली  
 पर बहल सुनी गई। मपीलांतर अधिवक्ता  
 ने निवेदन किया कि अधीनस्थ  
 न्यायालय द्वारा मपीलांतरण को  
 सुनवाई का समुचित अवसर नहीं  
 दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय  
 द्वारा मपीलांतरण आवेग बिधि  
 द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन  
 बिधे बिना जाति किया गया।  
 ततः मपीलांतरण कटलाई जाई।  
 गणकीय प्रक्रियापत्र ने बहल करते  
 हुए निवेदन किया कि सुनवाई का  
 मपीलांतरण को समुचित अवसर दिया  
 गया। मपीलांतरण मालगी को लेव  
 किया गया बाद वाली स्थापित  
 आवेग नहीं कर पाया। मपीलांतरण  
 खारिज कटलाई जाई।  
 उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की  
 पत्रावली पर बहल सुनी गई। अधीनस्थ  
 न्यायालय द्वारा मपीलांतरण को सुनवाई  
 का समुचित अवसर नहीं दिया  
 गया। बाद के विचारणा देतु बिधे  
 उक्रियागत कार्यवाही का पालन बिधे

बिना एक नीकी माध्याल पर खारिज  
 किया गया। मपीलांतरण को अधीनस्थ

  
 राजा अमित अच्यार्य  
 जज

न्यायालय द्वारा साक्ष्य संकलन प्रथम करने  
की अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ  
न्यायालय द्वारा अपीलवादी को दोष विधि  
द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए  
बिना पारित किया गया। लिहाजा उक्त  
निर्णय करने योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाती  
है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित  
निर्णय दिनांक 03.03.2021 को अपील  
क्रमांक 100/2021 पर निवेदन के साथ  
प्रतिबन्धित किया जाता है कि अपीलार्थी  
को सुनवाई का समुचित अवसर दिया  
जाकर सुनावणी पर निर्णय पारित करें।  
अधीनस्थ न्यायालय का अतिरिक्त यह  
निर्णय अति के लौराया जावे। पत्रावली  
में श.ल. शुभा. नंबर के क्रम दोस्त  
बाद तारीख तबतारीख दायित्व दफतर से  
आदेश करे इत्यादि सुनाया। पत्रावली  
में श.ल. शुभा. नंबर के क्रम दोस्त  
बाद तबतारीख दायित्व दफतर से।

  
राजल अपील अधिकारी  
राजमेर